



2026:AHC: 161628

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 3546/1984

हरि सिंह और अन्य

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता	: गुलाब सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, ओ.पी. मिश्रा
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: ए.जी.ए.

न्यायालय संख्या - 91

माननीय न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी

1. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान आपराधिक अपील अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा विद्वान षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश, बस्ती द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 255 वर्ष 1983 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 20.12.1984 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 और 2 को धारा 147 और 307 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है और उनमें से प्रत्येक को धारा 147 भा.द.सं. के अंतर्गत एक वर्ष के कठोर कारावास और धारा 307/149 भा.द.सं. के अंतर्गत 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी संख्या 3 से 5 को भी धारा 148 और 307/149 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध किया और उनमें से प्रत्येक को धारा 148 भा.द.सं. के अंतर्गत 2 वर्ष के कठोर कारावास और धारा 307/149 भा.द.सं. के अंतर्गत 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सजाएं साथ-साथ चलनी थीं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. प्रारंभ में, तीन अभियुक्त-अपीलार्थियों ने वर्तमान आपराधिक अपील प्रस्तुत किया था, जिनमें से अपीलार्थी संख्या 1, 3 और 4 अर्थात् हरि सिंह, जगदीश सिंह और इंद्रजीत सिंह की अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई है। उनके संबंध में अपील उपशमित मानकर खारिज कर दी गई थी। अब, अपीलार्थी संख्या 2 और 5, अर्थात् जलालु उर्फ जलालुद्दीन और हवलदार सिंह जीवित हैं और उनके संबंध में अपील पर सुनवाई की गई है तथा इस निर्णय और आदेश द्वारा इसे निर्णीत किया जा रहा है।

4. अभियुक्त-अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अभियुक्त-अपीलार्थियों को पहले किसी भी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया है और वे पहली बार अपराध करने वाले हैं। वह शुरुआत में ही प्रस्तुत करते हैं कि वह दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और आदेश को चुनौती नहीं दे रहे हैं और वह आपराधिक अपील में अपना तर्क केवल दंडादेश के संबंध में सीमित कर रहे हैं।

5. अभियुक्त-अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त अभिवेदन के दृष्टिगत, जहां तक यह विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और आदेश से संबंधित है, आपराधिक अपील खारिज की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और आदेश को एतद्वारा बरकरार रखा जाता है।

6. अभियुक्त-अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि अभियुक्त-अपीलार्थियों को पहले किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया है, विचारण न्यायालय को अपराधी परीक्षा अधिनियम, 1958 (जिसे संक्षेप के लिए एतदपश्चात 'अधिनियम' कहा गया है) के प्रावधानों का उपयोग करना चाहिए था।

7. विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थियों को सजा सुनाते समय न तो उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों का और न ही धारा 360 द.प्र.सं. के प्रावधानों का उपयोग किया। विचारण न्यायालय ने धारा 360 द.प्र.सं. के प्रावधानों या अधिनियम, 1958 के प्रावधानों का लाभ न देने के लिए दोषसिद्धि और दंडादेश के आक्षेपित निर्णय और आदेश में कोई विशेष कारण नहीं दिया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. अभियुक्त-अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि उस सीमा तक, आक्षेपित निर्णय और आदेश धारा 361 द.प्र.सं. के प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण गंभीर अवैधता से ग्रस्त है और, इसलिए, इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।

9. संहिता की धारा 361 को लाभकारी प्रावधानों अर्थात् संहिता की धारा 360 या अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के साथ या उनके बिना लागू किया जाना आवश्यक है। यदि न्यायालय इन दोनों में से किसी भी प्रावधान को लागू न करने का विकल्प चुनता है, तो उसे लाभकारी प्रावधान को लागू न करने के विशेष कारण देने होंगे यदि अभियुक्त अपराधी अन्यथा, संहिता की धारा 360 या अधिनियम की धारा 3 या 4 के प्रावधानों के लिए पात्र है।

10. अभियुक्त-अपीलार्थियों को लाभकारी विधान (कानून) अर्थात् अधिनियम के प्रावधानों के लाभ का दावा करने का वैधानिक अधिकार है और विद्वान विचारण न्यायालय धारा 361 द.प्र.सं. के अंतर्गत अनिवार्य किए गए अनुसार धारा 360 द.प्र.सं. या अधिनियम की धारा 3 या 4 की प्रयोज्यता पर विचार करने के कर्तव्य के अधीन था। यदि धारा 360 द.प्र.सं. के प्रावधान या अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं किए गए थे, तो विद्वान विचारण न्यायालय को इसके लिए कारण दर्ज करने चाहिए थे।

11. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए., इस तथ्य का विवाद नहीं करते हैं कि अभियुक्त-अपीलार्थी पहली बार अपराध करने वाले हैं और पहले किसी अन्य वाद में दोषसिद्ध नहीं हुए थे। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि धारा 361 द.प्र.सं. के स्पष्ट प्रावधानों के दृष्टिगत, तथ्यों और परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, अभियुक्त-अपीलार्थियों के चरित्र और विशेष रूप से, घटना की तिथि से बीत चुके समय की अवधि पर विचार करते हुए, इस वाद में अधिनियम की धारा 4 का लाभ दिया जा सकता है।

12. उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत तथा अधिनियम की धारा 4 के दायरे पर विचार करते हुए, अभियुक्त-अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए यह आपराधिक अपील तदनुसार **खारिज** की जाती है। हालांकि, उन्हें अधिनियम की धारा 4 का लाभ प्रदान किया जाता है। अभियुक्त-अपीलार्थियों को परिवीक्षा पर रिहा किया जाता है। अभियुक्त-अपीलार्थी 20,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करेंगे और वे समाज में शांति बनाए रखेंगे तथा भविष्य में ऐसा कोई अपराध नहीं करेंगे। बंधपत्र एक वर्ष के लिए होगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



13. किसी भी ऐसी शर्त के उल्लंघन के स्थिति में, अभियुक्त-अपीलार्थियों को विधि के अनुसार विचारण न्यायालय के समक्ष सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त-अपीलार्थी आज से दो माह की अवधि के भीतर बंधपत्र दाखिल करेंगे।

14. आवश्यक अनुपालन के लिए इस निर्णय की एक प्रति के साथ-साथ अभिलेख को तत्काल संबंधित विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जाए।

3 अगस्त, 2026

एम.एन./-

(न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”